रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1725] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2009/कार्तिक 4, 1931

No. 1725] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2009/KARTIKA 4, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2683(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना सं. का.आ. 3159 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 9, 31, 32, 37 और 47 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटाया जाएगा ।

(ख) अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा :—

"बशर्ते कि भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 2683(अ), दिनांक 26 अक्तूबर, 2009 के द्वारा क्रम संख्या 9, 31, 32, 37 और 47 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटाने से उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले की गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई अथवा किए गए किसी भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

[फा. सं. 14011/1/2009-दिल्ली-II]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण की अधिसूचना सं. का.आ. 3159, दिनांक 19 अक्तूबर, 1966 के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2009

S.O. 2683(E).—In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 3159, dated the 19th October, 1966, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) The serial numbers 9, 31, 32, 37 and 47 and the entries relating thereto shall be omitted.

(b) at the end, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the omission of the serial numbers 9, 31, 32, 37 and 47 and the entries relating thereto, *vide* notification of the Government of India number S. O. 2683(E), dated the 26th October, 2009, shall not affect to any action taken or anything done before the date of publication of said notification."

[F. No. 14011/1/2009-Delhi-II]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 3159, dated the 19th October, 1966.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2684(अ).—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 490क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां, केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन तथा अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रयोग की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) धारा 3क की उप-धारा (2), इस शर्त के अध्यधीन कि कोई भी आदेश केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से पारित किया जाए;

(ख) धारा 5 की उप-धारा (2), इस शर्त के अध्यधीन कि कोई भी आदेश केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से पारित किया जाए;

(ग) धारा 6, इस शर्त के अध्यधीन कि कोई भी आदेश केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से पारित किया जाए;

(घ) धारा 52 की उप-धारा (2);

(ङ) धारा 54, इस शर्त के अध्यधीन कि आयुक्त की नियुक्ति केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् की जाए;

(च) धारा 55;

(छ) धारा 56 की उप-धारा (2);

(ज) धारा 57;

(झ) धारा 102 के परन्तुक के खण्ड (ग) का उप-खण्ड (i) और खण्ड (घ);

(ञ) धारा 202 का खण्ड (ग);

(ट) धारा 330क;

(ठ) धारा 372 की उप-धारा (2);

(ड) धारा 427 की उप-धारा (2);

(ढ) धारा 480 की उप-धारा (2);

(ण) धारा 489;

(त) धारा 490, इस शर्त के अध्यधीन कि भंग किए जाने का आदेश करने से पूर्व केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी; और

(थ) धारा 512 ।

[फा. सं. 14011/1/2009-दिल्ली-II]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2009

S.O. 2684(E).—In exercise of the powers conferred by Section 490A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby directs that the powers of the Central Government under the following provisions of the said Act shall, subject to the control of the Central Government and until further orders, be exercised by the Government of National Capital Territory of Delhi, namely :—

(a) Sub-section (2) of Section 3A, subject to the condition that any order may be passed with the previous approval of the Central Government;

(b) Sub-section (2) of Section 5, subject to the condition that any order may be passed with the previous approval of the Central Government;

(c) Section 6, subject to the condition that any order may be passed with the previous approval of the Central Government;

(d) Sub-section (2) of Section 52;

(e) Section 54, subject to the condition that appointment of the Commissioner may be made after obtaining the prior approval of the Central Government;

(f) Section 55;

(g) Sub-section (2) of Section 56;

(h) Section 57;

(i) Sub-clause (i) of clause (c) and clause (d) of the proviso to Section 102;

(j) Clause (c) of Section 202;

(k) Section 330A;

(l) Sub-section (2) of Section 372;

(m) Sub-section (2) of Section 427;

(n) Sub-section (2) of Section 480;

(o) Section 489;

(p) Section 490, subject to the condition that the previous approval of the Central Government shall be obtained before an order of dissolution is made; and

(q) Section 512.

[F. No. 14011/1/2009-Delhi-II]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2009

का. आ. 2685(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 29 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना सं. का.आ. 1458 को निरस्त करती हैं, सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे निरसन से पहले किए गए थे या किए जाने के लिए हटा दिए गए थे ।

[फा. सं.-14011/1/2009-दिल्ली-II]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 29 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1458 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2009

S.O. 2685(E).—In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 1458, dated the 29th April, 1967, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 14011/1/2009-Delhi-II]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 1458, dated the 29th April, 1967.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.